संख्या-654/2018/985/22-2-2018-17(185)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 नवम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजबीर पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0(बैठक 15.05.2018) दिनांक 14.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजबीर पुत्र श्री सुन्दर लाल, जो- ग्राम मतानत नगर थाना पिलाना हाल बालौनी जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.11.1997 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रिवाल्वर से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0न0 39/1978 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 मेरठ के आदेश दिनांक 31.10.1981 को दोषमुक्त किया गया। उक्त के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित गवरमेंट अपील में पारित आदेश दिनांक 12.07.2005 एवं दिनांक 03.09.2013 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2014 यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.10.2017 तक 04 वर्ष 04 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 08 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजबीर (बन्दी संख्या-149/16) पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी जनपद-बागपत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-654/2018/985(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in